SARTHAK-PDS: ₹25,530 करोड़ की छत्र योजना

शासन / खाद्य सुरक्षा | समाचार संदर्भ: SARTHAK-PDS छत्र योजना को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी, 27 मई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

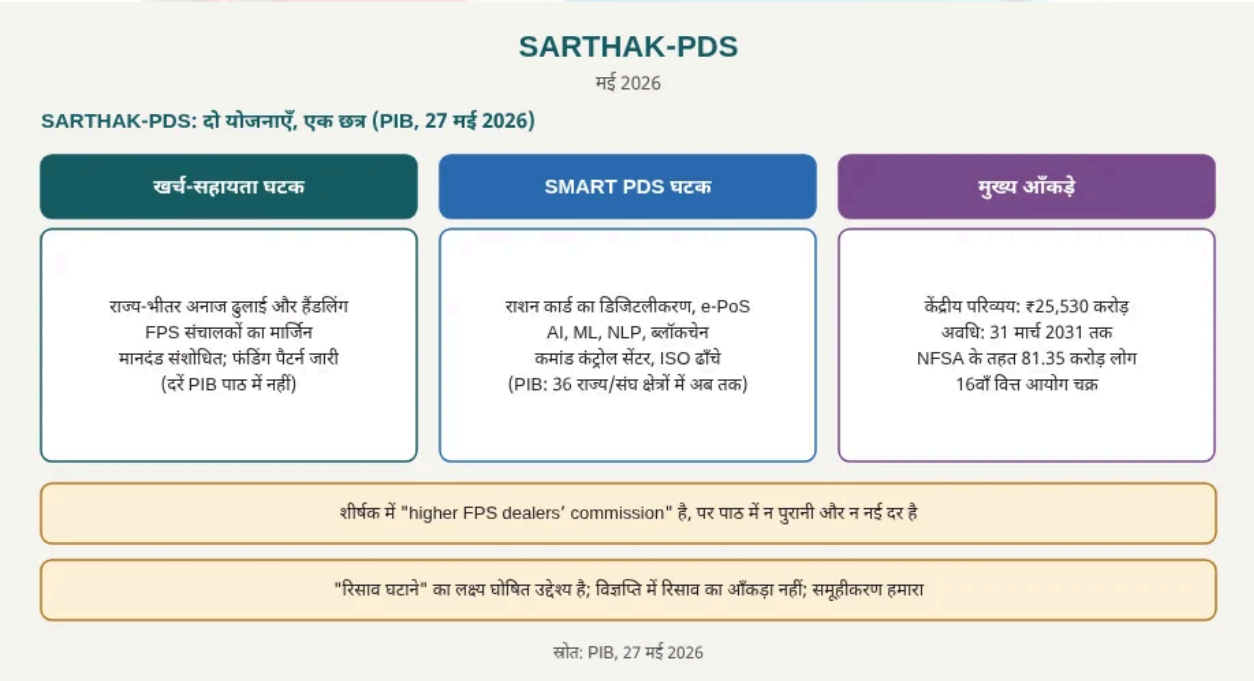
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत सस्ता अनाज राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से बँटता है। केंद्र अनाज का इंतज़ाम करता है, पर राज्य के भीतर अनाज ढुलाई, गोदाम से राशन दुकान तक पहुँचाना और उचित मूल्य दुकान (FPS) के संचालक का मार्जिन राज्यों के खर्च में आता है। केंद्र इस खर्च में सहायता देता है। इसी ढाँचे में अब दो चल रही योजनाओं को मिलाकर एक छत्र योजना बनी है।

खबरों में क्यों

PIB के अनुसार आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 27 मई 2026 को “Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling-Income with Automation in PDS” (SARTHAK PDS) को 16वें वित्त आयोग चक्र की अवधि के लिए छत्र योजना के रूप में जारी रखने की मंज़ूरी दी। केंद्रीय हिस्से का परिव्यय ₹25,530 करोड़ बताया गया है। योजना दो मौजूदा योजनाओं को मिलाती है और 31 मार्च 2031 तक चलेगी।

मुख्य अवधारणा: छत्र योजना का अर्थ

छत्र योजना में कई चलती योजनाएँ एक ढाँचे में आती हैं। PIB के अनुसार यहाँ दो योजनाएँ मिली हैं: (i) राज्य एजेंसियों को राज्य के भीतर अनाज की आवाजाही और FPS संचालकों के मार्जिन के लिए सहायता, और (ii) PDS में प्रौद्योगिकी के ज़रिए आधुनिकीकरण और सुधार की SMART PDS योजना। हमारा पठन: एक हिस्सा खर्च की भरपाई का है और दूसरा तकनीकी ढाँचे का।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

मंज़ूरी और अवधि	**CCEA, 27 मई 2026। योजना 16वें वित्त आयोग चक्र की अवधि के लिए है और PIB के अनुसार मिली हुई योजना 31.03.2031 तक चलेगी। केंद्रीय हिस्सा ₹25,530 करोड़। विज्ञप्ति का शीर्षक "अगले 5 वर्षों" की बात कहता है।**
नियम और फंडिंग	PIB के अनुसार CCEA ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य-भीतर अनाज-ढुलाई, हैंडलिंग और FPS संचालकों के मार्जिन पर केंद्रीय सहायता के मानदंड बदलने का निर्णय लिया है, जबकि मौजूदा फंडिंग पैटर्न जारी रहेगा।
लाभार्थी	विज्ञप्ति के अनुसार योजना NFSA के तहत आने वाले 81.35 करोड़ लोगों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता निभाने के लिए है।
तकनीकी घटक	PIB के अनुसार योजना AI, मशीन लर्निंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों से मानकीकृत ढाँचे और एकीकृत डेटाबेस बनाएगी: रीयल-टाइम निगरानी, AI-आधारित शिकायत और विश्लेषण प्रणाली, राज्य कमांड कंट्रोल सेंटर और ISO-प्रमाणित प्रक्रिया-ढाँचे।
अब तक का डिजिटलीकरण	विज्ञप्ति के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से SMART PDS ने 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड के पूर्ण डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, e-PoS से FPS स्वचालन, ऑनलाइन आवंटन और कंप्यूटरीकृत आपूर्ति-श्रृंखला का आधार दिया। मेरा राशन, अन्न मित्र, राइटफुल टार्गेटिंग डैशबोर्ड और अन्न सहायता जैसे ऐप भी गिनाए गए हैं। ये सरकार के कथन हैं।
"अधिक कमीशन" का शीर्षक	विज्ञप्ति के शीर्षक में "higher FPS Dealers' commission" है। हमारे पढ़े पाठ में न पुराना मार्जिन-दर है और न नया, इसलिए "कितना अधिक" हम नहीं बता सकते।

योजना को कैसे पढ़ें

दो उद्देश्य, एक योजना: विज्ञप्ति दो लक्ष्य बताती है: (क) राज्य-भीतर ढुलाई, हैंडलिंग और FPS मार्जिन के लिए निश्चित वित्तीय सहायता और (ख) एकीकृत, नागरिक-केंद्रित और अंतर-संचालनीय PDS ढाँचा, जो अंतिम छोर तक सेवा दे और रिसाव घटाए। इनमें पहला खर्च की सहायता है और दूसरा सुधार का एजेंडा। इन्हें एक साथ बाँधने का असर पढ़ने के लिए बाद के आँकड़े चाहिए।

रिसाव का दावा: विज्ञप्ति "रिसाव कम करने" का लक्ष्य बताती है, पर उसमें रिसाव का कोई वर्तमान प्रतिशत या लक्ष्य-आँकड़ा नहीं है। इसलिए यह घोषित उद्देश्य है, मापा हुआ परिणाम नहीं।

प्रौद्योगिकी की भूमिका: हमारी व्याख्या: AI और ब्लॉकचेन जैसे नाम नीति-स्तर पर आधुनिक लगते हैं, पर राशन-प्रणाली में अंतिम जाँच दुकान पर होती है, जहाँ e-PoS, कनेक्टिविटी और लाभार्थी की पहचान का सवाल आता है। विज्ञप्ति इन व्यावहारिक पहलुओं का ब्योरा नहीं देती।

संघीय और राजकोषीय पहलू

केंद्र और राज्य: PDS का संचालन राज्यों के पास है और केंद्र वित्तीय सहायता देता है। इसलिए मानदंड बदलना राज्यों की लागत और FPS संचालकों की आय पर सीधा असर डाल सकता है। संशोधित मानदंडों का ब्योरा विज्ञप्ति में नहीं है, इसलिए असर का आकार हम नहीं बता सकते (हमारी व्याख्या)।

वित्त आयोग चक्र: योजना को 16वें वित्त आयोग चक्र से जोड़ा गया है। परिव्यय का वार्षिक विभाजन या राज्यों के हिस्से का ब्योरा हमने नहीं पढ़ा।

चुनौतियाँ और जो हमने नहीं पढ़ा

जो हमने नहीं पढ़ा: हमने केवल PIB की अंग्रेज़ी विज्ञप्ति (हिंदी पन्ना भी खोला, पाठ समान) पढ़ी। संशोधित मानदंडों के दर, वार्षिक आवंटन, मंत्रालय के दिशा-निर्देश या किसी बाद की प्रगति की हमने जाँच नहीं की।

शीर्षक बनाम पाठ: शीर्षक में "higher FPS dealers' commission" है, पर पाठ में दर नहीं मिली। छात्र को यह सुझाव है कि आँकड़े या दर लिखते समय मूल अधिसूचना या विभाग का आदेश देखें।

दोहराव: PIB पन्ने में पाठ दो बार छपा दिखता है। हमने तथ्य एक ही बार गिने।

आगे की राह

इस लेख को 27 मई 2026 की PIB विज्ञप्ति की स्थिति के रूप में पढ़ें। संशोधित मानदंड, दर और क्रियान्वयन-आँकड़े आने पर निष्कर्ष बदल सकते हैं।

अवधारणा में अंतर

चार बातें अलग रखें: (1) मंज़ूरी और परिव्यय के आधिकारिक तथ्य; (2) सरकार के लक्ष्य और दावे; (3) हमारी व्याख्याएँ; और (4) जिनकी हमने जाँच नहीं की।

मेंस दृष्टि

GS-II: सरकारी नीतियाँ, केंद्र-राज्य संबंध, खाद्य सुरक्षा; GS-III: खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी का उपयोग। उत्तर में खर्च-सहायता और तकनीकी सुधार दोनों का उल्लेख करें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

SARTHAK-PDS (2026) के संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केंद्र की वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी-आधारित सुधार के संबंध की जाँच कीजिए। राज्यों और FPS संचालकों के लिए इसके क्या प्रभाव और जोखिम हो सकते हैं?

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: NFSA, PDS और SARTHAK-PDS का सार।

मुख्य भाग में: दो घटक: ढुलाई-मार्जिन सहायता और तकनीकी ढाँचा; प्रभाव: राज्यों की लागत, FPS आय, रिसाव; जोखिम: e-PoS और कनेक्टिविटी, पहचान की समस्या, डेटा-सुरक्षा; सुझाव: दरों में पारदर्शिता, स्वतंत्र मूल्यांकन।

निष्कर्ष में: ढुलाई और FPS मार्जिन की सहायता को तकनीकी सुधारों से जोड़ते समय राज्यों की लागत, संचालकों की आय और लाभार्थी की पहुँच साथ परखें; डिजिटलीकरण को रिसाव घटने या पहचान-संबंधी बाधाएँ समाप्त होने का प्रमाण न मानें।

स्रोत

- PIB, SARTHAK-PDS छत्र योजना की मंज़ूरी, अंग्रेज़ी पन्ना (27 मई 2026)

- PIB, वही विज्ञप्ति, हिंदी भाषा-चयन वाला पन्ना (27 मई 2026)

दोनों स्रोत PIB के हैं और पढ़े गए। संशोधित मानदंड और दर नहीं मिले।

याद रखें: PIB के अनुसार CCEA ने 27 मई 2026 को SARTHAK-PDS छत्र योजना को ₹25,530 करोड़ के केंद्रीय परिव्यय के साथ 31 मार्च 2031 तक मंज़ूरी दी, जिसमें ढुलाई-मार्जिन सहायता और SMART PDS मिले हैं। संशोधित मानदंड, कमीशन की दर और रिसाव के आँकड़े विज्ञप्ति में नहीं हैं।